

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी/6-1/84/3/1

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश.

**विषय.**—शासकीय कार्मिकों को विभागीय जांच में विधि व्यवसायी से सहायता लेने की अनुमति.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 (8) में उपरोक्त विषय से संबंधित स्पष्ट प्रावधान होने के कारण शासन के निर्देश क्रमांक 2944/1864/1 (3)/61, दिनांक 5-12-61 एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(के. एन. श्रीवास्तव)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

पू. क्रमांक सी/6-1/84/3/1

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 1984

प्रतिलिपि.—

1. निबंधक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.  
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.  
लोकायुक्त, म. प्र., भोपाल.  
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, सैनिक सचिव,  
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव (समस्त) सामान्य प्रशासन विभाग.  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-

(के. एन. श्रीवास्तव)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.